संभागीय कार्यालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, इंदौर संभाग, इंदौर

क्रमांक/यां.प्र./तक.स्वी./ CON OF SAMUDAYIK BHAVAN/SABHA MANDAL AT W-13 BANHER ME RADHA KRASHAN MANDIR KE PASS BHARUD MOHALLE ME SARVAJANIK UPAYOG HETU /2026/202 इंदौर , दिनांक - 12-03-2026

प्रति

मुख्य नगर पालिका अधिकारी,

BISTAN NAGAR PARISHAD, जिला: KHARGONE

विषयः - CON OF SAMUDAYIK BHAVAN/SABHA MANDAL AT W-13 BANHER ME RADHA KRASHAN MANDIR KE PASS BHARUD MOHALLE ME SARVAJANIK UPAYOG HETU की तकनीकी स्वीकृति के सम्बन्ध में।

संदर्भः - PROJECT NUMBER PW1-EN2-0502-26-202

विषयांर्तगत संदर्भित पत्र से निकाय क्षेत्रान्र्तगत में Building कार्य के प्राक्कलन का परिक्षण किया गया है।निर्माण कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व शासकीय इंजीनियर कॉलेज से पेवमेन्ट/क्रस्ट डिजाइन कराकर उसका अनुमोदन इस कार्यालय से कराया जाना सुनिश्चित करे।म.प्र.नगर पालिका लेखा एवं वित्त नियम 2018 अनुसार पश्चात तकनीकी स्वीकृती प्रदान की जाती है।

क.	कार्य का नाम	मद	प्रभावशील एस.ओ.आर. का विवरण	तकनीकी स्वीकृति की राशि	जीएसटी (GST)	जीएसटी सहित तकनीकी स्वीकृति की राशि
1	CON OF SAMUDAYIK BHAVAN/SABHA MANDAL AT W-13 BANHER ME RADHA KRASHAN MANDIR KE PASS BHARUD MOHALLE ME SARVAJANIK UPAYOG HETU	Sansad/MP LAD Fund	As per Estimation	321153.53	57807.63	378961.16

शर्तें-

1. निर्माण के दौरान सी.पी.डब्ल्यू.डी. स्पेसिफिकेशन एवं यू.ए.डी.डी. स्पेशिफिकेशन का पालन सुनिश्चित किया जावे। निर्माण कार्य

के दौरान निर्माण कार्यो में प्रयुक्त निर्माण सामग्री/कांक्रीट आदि का शासकीय/मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला परीक्षण निर्धारित आवृत्ति अनुसार कराया जावे। कार्य के चल देयक, भुगतान के पूर्व उपयोग की समस्त सामग्रीयॅ एवं कांक्रटी की टेस्ट रिपोर्ट आवश्यक रूप से प्राप्त की जावे एवं कार्य की विधिवत निविदा आमंत्रित की जावे।

2. म.प्र. नगर पालिका लेखा नियम 1971 के नियम 131 के उपनियम (3) के खण्ड (दो) के प्रावधान अनुसार सक्षम प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त की जावे।

3. म.प्र. न.पा. (प्रेसीडेंट-इन-कांउसिल के कामकाज का संचालक तथा प्राधिकारियॅ की शक्तियॉ एवं कर्तव्य) नियम 1998 के नियम 7 (3) अनुसार संविदाकारॅ से अनुबंध सम्पादन के समय पांच प्रतिशत प्रतिभूमि राशि कार्य की अनुमानित लागत या सामग्री या माल के अनुमानित मूल्य की जाम कराई जावे।

4. म.प्र. न.पा. (प्रेसीडेंट-इन-कांउसिल के कामकाज का संचालक तथा प्राधिकारियॅ की शक्तियॉ एवं कर्तव्य) नियम 1998 के नियम 5 (5)(एक)(ग्यारह) के प्रावधानॅ के अनुसार निविदा आमंत्रित की जावेगी।

5. निर्माणकार्य प्रारंभ करने के पूर्व स्ट्रेक्चर की भार वहन क्षमता का परीक्षण शासकीय मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला से कराया जावे। परीक्षण रिपोर्ट के आधार पर भवन की संरचना डिजाईन सक्षम स्ट्रक्चरल शासकीय इंजीनियर से करवाई जाकर निर्माण कार्य प्रारंभ किया जावे। ड्राइंग डिजाईन में भूकम्प अवरोधी तकनीक का समावेश किया जावे।

6. सक्षम जिला प्रशासन अधिकारी एवं नगर तथा ग्राम निवेश की अनुमति प्राप्त कर निविदा आमंत्रण की कार्यवाही की जावे।

7. मौके की स्थिति अनुसार यदि किसी प्रकार का परिवर्तन आवश्यक प्रतीत होता है तो निर्माण के पूर्व नियमानुसार सक्षम स्वीकृति प्राप्त की जावे।

8. निर्माण कार्य स्वयं के अधिपत्य की भूमि में किया जावे।

9. विस्तृत प्राक्कलन के साथ सेनेटरी एवं इलेक्ट्रिकल के आयटम का समावेश कर एकजाई तकनीकी स्वीकृति एवं अन्य स्वीकृतियॉ प्राप्त की जाए।

10. स्थल पर वास्तविक रूप से सम्पन्न कार्यो का ही भुगतान किया जावे।

11. भूमि विवाद की स्थिति में अथवास शासकीय विभाग द्वारा आपत्ति ली जाने पर प्राप्त तकनीकी स्वीकृति स्वतः ही निरस्त मानी जावेगी।

12. कार्य टुकड़ो में विभाजित होने की स्थिति में इसका दायित्व निकाय के मुख्य नगर पालिका अधिकारी का होगा तथा उक्त स्थिति में प्रदाय की गई तकनीकी स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जावेगी।

13. निर्माण कार्य की सक्षम प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त करने के उपरांत ही निविदा आमंत्रण की कार्यवाही की जावे।

14. कार्य स्थल पर संबधित निर्माण कार्य का बोर्ड अनिवार्य रुप से लगाया जावे, साथ ही कार्य प्रारंभ के पूर्व एवं कार्य समाप्ति पर वीडियॅग्राफी/फोटोग्राफ तैयार कराये जावें।

15. नगर तथा ग्रामीण नियोजन विभाग के नियमानुसार आवश्यक स्थल अनुमोदन/अनापत्ति प्राप्त की जावे। नजूल एवं अन्य विभागॅ से आवश्यक एन.ओ.सी./सहमति भी प्राप्त की जावे।

16. प्राप्त निविदा/कोटेशन की दरॅ की तुलना निकाय के क्षेत्र अथवा नजदीकी लोक निर्माण विभाग /गृह निर्माण विभाग/ग्रामीण यंात्रिकी विभाग/लोक स्था0 यांत्रिकी विभाग के समान कार्यो की वर्तमान प्रचलित दरॅ से तुलना की जाकर, निविदा समिति के स्पष्ट अभिमत के साथ पारित प्रस्ताव पर मुख्य नगर पालिका अधिकारी अपने स्पष्ट मत अंकन कर, नियमानुसार पी.आई.सी./परिषद से सक्षम स्वीकृति प्राप्त करेगें।

17. निर्माण कार्य की लागत राशि रु. 25.00 लाख से अधिक होने पर स्थल प्रयोगशाला की स्थापना, निर्माण एजेन्सी से कराई जाकर टेस्टेड मटेरियल ही उपयोग में लाया जावे।

18. म.प्र. शासन, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय भोपाल के आदेश क्र. F-6-18/10/18-3/7814 भोपाल दिनांक 17 जून 2016 के अनुसार राशि रू. 1.00 लाख अथवा उससे अधिक के कराये जाने वाले कार्यो के लिये ई-टेंडरिंग व्यवस्था के माध्यम से आहुत की जाना सुनिश्चित करें।

19. निविदा सूचना में प्रावधान किया जाये कि निविदाकार को ई.पी.एफ. एवं लेवर विभाग का पंजीयन प्रमाण पत्र देना होगा। Cost Escalation Clause लागू नहीं होगा।

20. भवन में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक का उपयोग करना होगा। निर्माण भूकम्परोधी तकनीकी का होगा।

21. निविदा दर स्वीकृति उपरांत ठेकेदार को जिले के श्रमपदाधिकारी के पास श्रम आयुक्त के संविदा श्रमिक (विनियमन एवं समाप्ति) अधिनियम 1970 के अंतर्गत आवेदन प्रारूप-05 तत्काल जमा कराना अनिवार्य होगा। तत्पश्चात् ठेकेदार से उक्त पंजीयन निकाय में जमा कराकर अनुबंध संपादित किया जावेगा। पंजीयन निर्धारित अवधि में जमा न होने पर ठेका निरस्त की कार्यवाही की जावेगी।

22. उपरोक्त शर्तो की पूर्ति की जिम्मेदारी निकाय के मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका/नगर परिषद की होगी।
23. निर्माण कार्य प्रांरभ करने के पूर्व शासकीय इंजीनियर कॉलेज से स्ट्रक्चरल डिज़ाईनकराकर उसका अनुमोदन इस कार्यालय से कराया जाना सुनिष्चित करे |
24. मध्यप्रदेश नगर पालिका लेखा एवं वित्त नियम 2018 अनुसार पश्चात तकनीकी स्वीकृति प्रदान की जाती है
25. भूमि स्वामित्व निकाय/शासन मद का हो यह सुनिश्चित कर लिया जावे|

अधीक्षण यंत्री / कार्यपालन यंत्री / सहायक यंत्री

संभागीय कार्यालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, इंदौर संभाग, इंदौर

Signature Not Verified

Signed by: Vishal Mohe
Reason: Project TS Certification
Location: 0502
Date: 2026-03-12 13:39:20

E-sign

Signature Not Verified

Digitally signed by SANTOSH KUMAR PARASHAR
Date: 2026.04.30 12:49:22 IST
Location: Madhya Pradesh-MP